अध्याय -15
योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

15.1 नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए श्रम मंत्रालय का अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए था जिसमें से 516.56 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च है। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए मंत्रालय का स्वीकृत सारभूत परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है जो नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है । वार्षिक योजना 2002-2003, 2003-04, 2004-2005, 2005-2006 और 2006-07 के लिए परिव्यय क्रमश:170 करोड़ रुपए, 183 करोड़ रुपये तथा 232.48 करोड़ रुपये तथा 336.26 करोड़ रुपये है। कल 092.24 करोड रुपये है। विस्तृत योजनागत प्रावधान तथा व्यय का ब्यौरा **सारणी 15.1** में दर्शाया गया है।

15.2 इस मंत्रालय के योजनागत बजट का मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एवं रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है, खानों एवं कारखानों में कार्य दशाएं सुधारना, श्रमिक शिक्षा, अनुसंधान और सांख्यिकी, औद्योगिक संबंध, राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास अन्य महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमें हैं।

15.3 वर्ष 2006-2007 में महिला घटक योजना के तहत 5.16 करोड़ रुपए का पूर्वानुमानित प्रावधान है। डी.जी.ई. एंड टी. का महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा महिला श्रमिक प्रकोष्ठ सिर्फ महिलाओं से संबद्ध योजनाओं के लिए है। महिलाओं से संबंधित 5 योजनाएं हैं, जिसमें से 3 केवल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु हैं।

15.4 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लाभ हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय में कुछ योजना स्कीमें हैं । इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) एवं अनुसूचित जाति हेतु विशेष कंपोनेंट योजना (एस सी पी) हैं। वर्ष 2005-2006 के लिए टी.एस.पी. तथा एस.सी.पी., जहां ये अनुमेय हैं, 9.05 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित थी।

15.5 सरकार के निर्देशानुसार, बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा जाता है इस प्रकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2006-2007 के दौरान 336.76 करोड़ रुपये के कुल आबंटन के आधार पर इस प्रयोजनार्थ 33.68 करोड़ रुपये के बराबर निधियां चिहिनत/आबंटित की हैं।

15.6 श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देता है। वर्ष 2006-2007 के लिए 26 लाख रुपए की राशि का बजट आबंटन किया गया है। इस संबंध में अब तक श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं । कई अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं तथा कई अन्य पर मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

15.7 योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है और योजना आयोग ने

ग्यारहवीं योजना के दौरान श्रम और रोजगार के क्षेत्र में छः कार्यकारी समूह गठित किए हैं, अर्थात् (क) श्रम बल तथा रोजगार संभावना, (ख) कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ग) श्रम कानून तथा अन्य श्रम विनियम, (घ) सामाजिक सुरक्षा, (ङ) बाल श्रम, तथा (च) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इनमें से, अंतिम पांच समूहों का गठन सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में किया गया था। कार्यकारी समूहों की रिपोर्टें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गयी हैं ।

15.8 वर्ष 2006-07 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 336.76 करोड़ रुपये का परिव्यय (25.40 करोड़ रुपये के सिविल कार्य सहित) आबंटित किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 241.36 करोड़ रुपए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 95.40 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान प्रस्तावित उच्चतर परिव्यय मूलतः डी जी ई एंड टी द्वारा प्रस्तावित नई केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् 100 सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन अर्थात् आई टी आई को उत्कृष्टता केन्द्रों में स्तरोन्नत करना है जिसमें 2006-07 के दौरान योजना आबंटन को 2005-2006 में आर्बंटित 20.00 करोड़ रुपये से काफी बढ़ाकर 58.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006-2007 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण जैसे क्षेत्रों में कुछ नई पहलें अर्थात् सरकारी-गैर-सरकारी सहभागिता के माध्यम से कौशल विकास - एक केन्द्र प्रायोजित योजना ; बीड़ी कामगारों के लिए मकान निर्माण योजना तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रस्तावित है जिनका प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 10.00 करोड़ रुपये, 5.00 करोड़ रुपये तथा 5.00 करोड़ रुपये है ।

15.9 मंत्रालय के योजनागत कार्यक्रमों के अलावा, मंत्रालय के पास रोजगार और प्रशिक्षण, अनुकूल औद्योगिक संबंधों के सुनिश्चय, कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रमिक शिक्षा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और सांख्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के साथ-साथ अन्य सचिवालय सामाजिक सेवाओं और योजनाओं जैसे विभिन्न क्रियाकलापों वाले गैर-योजना कार्यक्रम हैं। 2005-06 के दौरान 1091.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में गैर-योजना व्यय 1208.71 करोड़ रुपए रहा जिसे 2006-07 (बजट अनुमान) के लिए बढ़ाकर 1332.22 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गैर-योजना बजट अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा **सारणी 15.2** मे दिया गया है।

*****

सारणी 15.1

श्रम संबंधी योजनागत प्रावधान और व्यय

प्रभाग/योजनाएं	10वीं योजना 2002-07 परिव्यय	वार्षिक योजना (2003-2004)		वार्षिक योजना (2004-2005)		वार्षिक योजना (2005-2006)		वार्षिक योजना 2006-2007 अनुमोदित परिव्यय
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
रो.एवं.प्रशि.महा.								
(क) रोजगार	36.66	14.79	1.03	6.37	1.23	7.20	1.66	7.33
(ख) प्रशिक्षण	363.34	42.16	31.09	37.46	30.17	60.98	31.15	115.83
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (डी.जी.एम.एस. एवं डी.जी.फसली)	107.40	8.45	2.06	11.30	3.85	9.37	2.70	20.32
औद्योगिक संबंध	37.20	7.75	3.00	6.18	3.95	5.89	4.26	6.95
बाल श्रमिक	667.50	72.43	67.34	99.05	93.14	128.35	115.06	132.05
महिला श्रमिक	2.50	0.46	0.14	0.26	0.23	0.26	0.30	0.41
श्रमिक सांख्यिकी	112.00	8.34	5.65	6.18	5.39	5.77	5.61	16.87
राष्ट्रीय श्रम संस्थान	12.00	2.65	2.25	2.85	2.78	3.10	3.10	3.30
अनुसंधान अध्ययन के लिए सहायता अनुदान योजना	3.00	0.20	0.10	0.25	0.17	0.25	0.09	0.26
श्रमिक शिक्षा	35.00	8.67	7.85	9.00	9.00	9.14	9.14	9.14
बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास	44.00	3.00	2.70	3.00	1.00	1.17	0.78	2.00
अन्य योजनाएं(हमालों के लिए आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुभागों का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन, कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, पी.पी.पी., बीड़ी कामगारों के लिए मकानों पर नई पहल आदि)	79.40	1.10	0.80	1.10	0.83	1.00	0.99	22.30
पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय							17.64	
कुल	1500.00	170.00	124.01	183.00	151.74	232.48	192.48	336.76

सारणी 15.2

गैर-योजनागत प्रावधान एवं व्यय

योजना	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान
सचिवालय सामाजिक सेवाएं	15.2	13.05	15.50	14.50	16.34	14.13	17.2
अनुसंधान व सांख्यिकी	4.10	4.23	4.3	4.46	5.25	4.90	5.72
औद्योगिक संबंध	18.61	16.51	18.33	17.41	19.52	18.9	20.81
कार्यदशाएं एवं सुरक्षा	25.3	23.13	25.50	23.90	28.8	25.66	31.22
श्रमिक शिक्षा	18.00	18.00	18.00	16.20	20.00	18.00	22.00
श्रमिक कल्याण योजनाएं	114.64	99.82	122.25	108.14	188.96	152.55	162.22
आरक्षित निधि में हस्तांतरण	112.65	109.75	112.00	96.70	115.5	160.85	161.05
सामाजिक सुरक्षा	462.5	463.31	513.00	613.4	713.5	763.53	853.44
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	4.54	4.34	4.60	5.78	7.03	5.41	7.55
अन्य अनुदान-दुर्घटना में मारे गए एच.डी.अंतरराज्यिक वाहन चालकों परिवारों को क्षतिपूर्ति	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य मदें	2.06	1.71	2.26	1.32	0.52	0.14	0.76
अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.74	2.02	1.80	1.77	1.95	1.93	2.25
सहायक सामग्री तथा उपकरण	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रोजगार	17.5	16.06	16.20	16.46	18.00	17.54	20.00
प्रशिक्षण	27.55	22.58	25.08	24.13	26.20	25.17	28.00
कुल	825.54	794.51	878.82	944.17	1091.57	1208.71	1332.22